30/3/26	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी खारिज किया जाता है कि तत्र निर्णय हस्तक से निस्तारण नामान्तरण शामिल पत्रावली किया जाय। पत्रावली इन्द्राज शुमार होकर नेयम से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी कसेडी (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. गफ्फार खां पुत्र बिन्दू उम्र 57 साल
2. समशाद खां पुत्र बिन्दू उम्र 54 साल
3. जैतून पत्नि स्व. बनी खां उम्र 70 साल
   जातियान फकीर मुसलमान निवासी मासलपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. शकुरूद्दीन पुत्र सूका
2. अयूब पुत्र सूका
3. शाकिर पुत्र शकुरूद्दीन
4. राशिद पुत्र शकुरूद्दीन
5. नासिर पुत्र शकुरूद्दीन
6. शाहिर पुत्र शकुरूद्दीन
7. साजिद
8. वाहिद } पुत्रान अयूब
9. आबिद

   जातियान मुसलमान निवासीयान मासलपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

10. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 24/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री हेमराज सैनी**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री गोविन्द चतुर्वेदी**, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण सीमाज्ञान कराने का आवेदन तहसीलदार, करौली के समक्ष प्रस्तुत करें एवं सीमाज्ञान होने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण पुनः वाद पेश करने को स्वतंत्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.12.22 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–24 / 22 तारीख रजु:–13.6.22

उनवान

1. गफ्फार खां पुत्र बिन्दू उम्र 57 साल
2. समशाद खां पुत्र बिन्दू उम्र 54 साल
3. जैतून पत्नि स्व. बनी खां उम्र 70 साल

जातियान फकीर मुसलमान निवासी मासलपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. शकुरूद्दीन पुत्र सूका
2. अयूब पुत्र सूका
3. शाकिर पुत्र शकुरूद्दीन
4. राशिद पुत्र शकुरूद्दीन
5. नासिर पुत्र शकुरूद्दीन
6. शाहिर पुत्र शकुरूद्दीन
7. साजिद
8. वाहिद } पुत्रान अयूब
9. आबिद

जातियान मुसलमान निवासीयान मासलपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

10. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, करौली जिला करौली –**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 30/3/22

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नं0 3667 रकवा 8 विस्वा बारानी–1, खसरा नं0 3668 रकवा 1 विस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नं0 3669 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा बारानी–1 कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा 4 विस्वा वाके कस्बा करौली हल्का नं0 9 तहसील करौली जिला करौली में वादीगण शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 3667 रकवा 8 विस्वा बारानी–1, खसरा नंबर 3668 रकवा 01 विस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नं0 3669 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा बारानी–1 कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा 04 विस्वा वाके कस्बा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

करौली हल्का नं0 9 तहसील करौली जिला करौली में वादीगण शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें वादीगण की मां व सास कजौडी बेवा बिन्दू फौत हो चुकी है तथा बनी खां फौत हो चुका है जिसकी एकमात्र वारिस वादी नं0 3 है तथा वादीगण जईफुल है। उक्त विवादित आराजीयात को वादीगण संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात से दीगर किसी व्यक्ति का कोई सरोकर नही है। दिनांक 09.06.2022 को सुबह खेतों पर हम वादीगण सार–संभाल करने गये तो देखा कि प्रतिवादीगण हम वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात में फावडा तथा जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। हमने मना दिय तो मारपीट पर उतारू हो गये और ऐलानियां कहा कि हम तो तुम्हारी आराजीयात की अब ऐसे ही तोडफोड करेंगे और तुम्हें काश्त नही करनें देंगे। काफी कहनसुन करने पर भी यह लोग नही मान रहे है तथा वादीगण की खेतों की डौल को जेसीबी से फेला दिया है तथा ऐलानियां कहकर गये है कि आज तो हम जो रहे हें कल से तुम्हें इन खेतों को काश्त नही करने देंगें। वादीगण उम्र दराज व्यक्ति है गैरसायलान लडाकू किस्म के हैं इनका सामना करने की सायलान में ताकत नही हैं। उक्त कृत्य से वादीगण के हक हकूको पर भारी आघात है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है तथा कानून से निडर व्यक्ति हे तथा कानून की परवाह किये बगैर बिना किसी अधिकार के वादीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि में अनाधिकार व्यवधान डालते रहे हैं तथा खेतों की डौलों को फेलाकर कब्जा करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण की उक्त विवादित आराजीयात से कोई सरोकार नही हे ना ही हक व हिस्सा हैं। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का व्यवधान नही डालें, ना ही खेतों की डौलों को फेलाये ना ही कब्जा करें। वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दें। विनाय मुखासमत दिनांक 09.06.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जेकाश्त में व्यवधान डालने पर पैदा हुआ। दावा अन्दर मियाद है और काबिल अदालत समाअत हाजा है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी ने 2 वीघा 4 विस्वा भूमि अपनी होने बाबत् कथन दर्ज किया है जबकि मौके पर उसके द्वारा 5–7 वीघा भूमि पर अनाधिकार अतिकमण कर रखा है तथा दीगर लोगों की भूमि को हडपने के प्रसाय में रहता हे जिस बाबत् मौके पर भूमि पर नाप कराई जा सकती है। दिनांक 9.6.22 को प्रतिवादीगण हम वादीगण की भूमि में फावडा व जेसीबी से खुदा करा रहे थे हमने मना किया तो मारपीट पर उतारू हो गये व काश्त नही करने की धमकदी देने का कथन सरासर असत्य व झूठा दर्ज किया है वादी की जमीन में कोई खुदाई प्रतिवादीगण द्वारा नही कराई गई है बल्कि प्रतिवादीगण ने स्वयं की खरीदकर्दा खातेदारी की भूमि जो वादी की आराजीयात के पास 3/12 वीघा स्थित है उसमें स्वयं के खेत पर जाने के रास्त में लैट्रिन का कुंआ बनावाया है जो प्रतिवादीगण की भूमि में बनाया है जिस बाबत् वादी ने ऐतराज किया जिस पर प्रतिवादीगण ने हाथ जोडकर निवदेन है कि प्रार्थी ने लैट्रिन का गड्डा स्वयं की खरीद भूमि में तैयार कराया है जिसमे आपकोस एक इंच भूमि नही है इसके बावजूद भी आप अपनी भूमि के रकवे की नाप करा लो यदि जमीन आपकी निकलेगी तो वह जमीन आपको दे देगा। लेकिन वादी द्वारा मौके पर कोई नाप ना कराने के बजाय सही तथ्यों को छिपाते हुऐ प्रतिवादीगण को बेजा तंग व परेशान करने को यह दावा व टी.आइ. पेश किये है जो चलने योग्य नही है पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद के अलावा अन्य कोई विवाद नही है वादीगण को काश्त ना करने की कोई धमकी नही दी गई ना उनकी जमीन में कोई डौल की तोडफोड फावडे व जेसीबी से कराई गई। अकारण झूठा विवाद वादी ने पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वादी की भूमि में कभी व्यवधान प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे काश्त में नही किया गया है ना कोई डौल मेड तोडकर उन्हें फसाया गया है। दावे के मद नं0 3 में खेतों की डौल फेलाकर कब्ज करने पर आमादा है जो एक दूसरे के विरोधाभाषी अभिवचन है दावा वादी काल्पनिक कयासी आधारों पर पेश किया है किसी प्रकार की कोई कृत्य वादी की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
कसैली (सज०

प्रतिवादीगण ने नही किया है ना किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। वादी किसी भी प्रकार है ना किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। वादी किसाने भी प्रकार का निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है दावा खारिज होने योग्य है तथा वेजा तंग व परेशान करने की ऐवज में हर्जा खर्चा वादी से प्रतिवादीगण को दिलाया जाना न्याय संगत है। जब तथाकथित दिनांक 9.6.22 को कोई डील फैलाई नही गई ना कब्जे काश्त में धमकी दी गई तो विनाय मुखासमत पैदा होने का कोई प्रश्न पैदा नही होता है दावा वादीगण इसी बिना पर खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:–

1. आया वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3667, 3668, 3669 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली वादगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

––वादीगण

2. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी गफ्फार पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–1 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी अयूब डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि विवादित आराजी खसरा नं0 3667 रकवा 8 विस्वा बारानी–1, खसरा नं0 3668 रकवा 1 विस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नं0 3669 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा बारानी–1 कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा 4 विस्वा वाके

उपखण्ड अधिकारी
करौली

कस्बा करौली हल्का नं0 9 तहसील करौली जिला करौली में वादीगण शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 3667 रकबा 8 विस्वा बारानी 1 खसरा नंबर 3668 रकबा 01 विस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नं0 3669 रकबा 1 वीघा 15 विस्वा बारानी–1 कुल किता 3 कुल रकबा 2 वीघा 04 विस्वा वाके कस्बा करौली हल्का नं0 9 तहसील करौली जिला करौली मे वादीगण शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें वादीगण की मां व सास कजौडी बेवा बिन्दू फौत हो चुकी है तथा बनी खां फौत हो चुका है जिसकी एकमात्र वारिस वादी नं0 3 है तथा वादीगण जईफुल है। उक्त विवादित आराजीयात को वादीगण संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात से दीगर किसी व्यक्ति का कोई सरोकर नही है। दिनांक 09.06.2022 को सुबह खेतों पर हम वादीगण सार–संभाल करने गये तो देखा कि प्रतिवादीगण हम वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात में फावडा तथा जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। हमने मना दिय तो मारपीट पर उतारू हो गये और ऐलानियां कहा कि हम तो तुम्हारी आराजीयात की अब ऐसे ही तोडफोड करेंगे और तुम्हें काश्त नही करनें देंगे। काफी कहनसुन करने पर भी यह लोग नही मान रहे है तथा वादीगण की खेतों की डौल को जेसीबी से फेला दिया है तथा ऐलानियां कहकर गये है कि आज तो हम जो रहे हें कल से तुम्हें इन खेतों को काश्त नही करने देंगें। वादीगण उम्र दराज व्यक्ति है गैरसायलान लडाकू किस्म के हैं इनका सामना करने की सायलान में ताकत नही हैं। उक्त कृत्य से वादीगण के हक हकूको पर भारी आघात है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है तथा कानून से निडर व्यक्ति हे तथा कानून की परवाह किये बगैर बिना किसी अधिकार के वादीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि में अनाधिकार व्यवधान डालते रहे हैं तथा खेतों की डौलों को फेलाकर कब्जा करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण की उक्त विवादित आराजीयात से कोई सरोकार नही हे ना ही हक व हिस्सा हैं। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

में किसी प्रकार का व्यवधान नही डालें, ना ही खेतों की डौलों को फेलाये ना ही कब्जा करें। वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दें। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि वादी ने 2 वीघा 4 विस्वा भूमि अपनी होने बाबत् कथन दर्ज किया है जबकि मौके पर उसके द्वारा 5–7 वीघा भूमि पर अनाधिकार अतिक्रमण कर रखा है तथा दीगर लोगों की भूमि को हडपने के प्रसाय में रहता है जिस बाबत् मौके पर भूमि पर नाप कराई जा सकती है। दिनांक 9.6.22 को प्रतिवादीगण हम वादीगण की भूमि में फावडा व जेसीबी से खुदा करा रहे थे हमने मना किया तो मारपीट पर उतारू हो गये व काश्त नही करने की धमकदी देने का कथन सरासर असत्य व झूठा दर्ज किया है वादी की जमीन में कोई खुदाई प्रतिवादीगण द्वारा नही कराई गई है बल्कि प्रतिवादीगण ने स्वयं की खरीदकर्दा खातेदारी की भूमि जो वादी की आराजीयात के पास 3/12 वीघा स्थित है उसमें स्वयं के खेत पर जाने के रास्त में लैट्रिन का कुंआ बनावाया है जो प्रतिवादीगण की भूमि में बनाया है जिस बाबत् वादी ने ऐतराज किया जिस पर प्रतिवादीगण ने हाथ जोडकर निवदेन है कि प्रार्थी ने लैट्रिन का गड्डा स्वयं की खरीद भूमि में तैयार कराया है जिसमे आपकोस एक इंच भूमि नही है इसके बावजूद भी आप अपनी भूमि के रकवे की नाप करा लो यदि जमीन आपकी निकलेगी तो वह जमीन आपको दे देगा। लेकिन वादी द्वारा मौके पर कोई नाप ना कराने के बजाय सही तथ्यों को छिपाते हुऐ प्रतिवादीगण को बेजा तंग व परेशान करने को यह दावा व टी.आइ. पेश किये है जो चलने योग्य नही है पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद के अलावा अन्य कोई विवाद नही है वादीगण को काश्त ना करने की कोई धमकी नही दी गई ना उनकी जमीन में कोई डौल की तोडफोड फावडे व जेसीबी से कराई गई। अकारण झूठा विवाद वादी ने पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वादी की भूमि में कभी व्यवधान प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे काश्त में नही किया गया है ना कोई डौल मेड तोडकर उन्हें फसाया गया है। दावे के मद नं0 3 में खेतों की डौल फेलाकर कब्ज करने पर आमादा है जो एक दूसरे के

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (राज०)

विरोधाभाषी अभिवचन है दावा वादी काल्पनिक कयासी आधारों पर पेश किया है किसी प्रकार की कोई कृत्य वादी की भूमि में प्रतिवादीगण ने नही किया है ना किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। वादी किसी भी प्रकार है ना किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। वादी किसने भी प्रकार का निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है दावा खारिज होने योग्य है तथा वेजा तंग व परेशान करने की ऐवज में हर्जा खर्चा वादी से प्रतिवादीगण को दिलाया जाना न्याय संगत है। जब तथाकथित दिनांक 9.6.22 को कोई डौल फैलाई नही गई ना कब्जे काश्त में धमकी दी गई तो विनाय मुखासमत पैदा होने का कोई प्रश्न पैदा नही होता है दावा वादीगण इसी बिना पर खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी गफ्फार के बयान कराये है। जिसमें उसने भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सीमा विवाद होना बताया है। जिरह में वादी गफ्फार अपनी भूमि का कोई सीमाज्ञान नहीं कराना बताया है और रास्ते का भी झगडा होना बताया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा विवाद है। जिसका निस्तारण वादीगण व प्रतिवादीगण तहसीलदार, करौली के समक्ष सीमाज्ञान आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान कराकर तय करा सकते है। अतः विवाद्यक संख्या 1 इसी प्रकार तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादीगण व प्रतिवादीगण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा विवाद है। जिसका निस्तारण वादीगण व प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तहसीलदार, करौली के समक्ष सीमाज्ञान आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान कराकर तय करा सकते है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रकरण में किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा सीमा विवाद होने के कारण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण सीमाज्ञान कराने का आवेदन तहसीलदार, करौली के समक्ष प्रस्तुत करें एवं सीमाज्ञान होने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण पुनः वाद पेश करने को स्वतंत्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली